माननीय न्यायमूर्ति एच. एस. बेदी के समक्ष,

केहर दीन-याचिकाकर्ता

बनाम

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ और अन्य, उत्तरदाता

1991 की सिविल रिट याचिका सं **6652**

22 जनवरी, **1992**

केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, आचरण और अपील) नियम 1965-नियम 3 (I) (i) और (iii), 14 (8) (a), 14 (14) और 15- भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226/227- घरेलू पूछताछ-सेवा से बर्खास्तगी की वैधता-प्रस्तुत अधिकारी की सेवाओं के अधिकार के बारे में अपराधी अधिकारी को सूचित करने का कर्तव्य-नियम 14 (8) (ए) का उल्लंघन पूर्वाग्रह का कारण बनेगा और जांच को दूषित करेगा-भौतिक गवाहों की प्रतिपरीक्षा के अधिकार से इनकार करने से अपराधी अधिकारी के लिए पूर्वाग्रह पैदा होगा-जांच अधिकारी द्वारा दर्ज राय के साथ जांच रिपोर्ट की आपूर्ति न करना जांच अनिवार्य होने के कारण दूषित हो जाएगी-हालांकि, चूंकि सजा मोहम्मद से बहुत पहले लागू की गई थी। रमजान खान मामला, सजा जांच रिपोर्ट उपलब्ध न होने के आधार पर चुनौती के लिए खुली नहीं होगी- पूर्ण पहले का वेतन और सेवा की निरंतरता के साथ बहाली का हकदार -श्रम न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया।

आयोजित किया गया कि याचिकाकर्ता जो स्वीकार्य रूप से एक क्लास चार कर्मचारी है। और रिकॉर्ड के अनुसार किसी प्रकार के अवसाद से पीड़ित था। निश्चित रूप से इस तथ्य से अवगत नहीं होने में पूर्वाग्रह था कि वह विभाग से संबंधित किसी अन्य सरकारी कर्मचारी द्वारा जांच में सहायता प्राप्त करने का हकदार था, खासकर जब पी.जी.आई.स्वयं इसका प्रतिनिधित्व इसके प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा किया गया था। इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच इस छोटे से आधार पर दूषित है।

(पैरा 3)

यह माना गया कि गवाहों से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया था और श्रम न्यायालय का यह निष्कर्ष कि उनके साक्ष्य को अच्छी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है, कानून के सुस्थापित सिद्धांत के विपरीत है कि पहले सूचना देने वाले जो घटना का सबसे अच्छा गवाह है, उसे जिरह के लिए पेश किया जाना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। यह संभव है कि अगर इन दोनों गवाहों से जिरह की गई होती, तो याचिकाकर्ता के पक्ष में एक कहानी सामने आ सकती थी। इसलिए मेरा विचार है कि इस नियम का पालन न करना एक बार फिर घरेलू जांच को दूषित करता है।

(पैरा 4)

अभिनिर्धारित किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद रमजान खान के मामले में कहा है कि प्राकृतिक न्याय के नियमों के लिए इस तरह की सूचना जारी करने और उस पर प्राप्त जवाब पर विचार करने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए, वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया है। अदालत ने मोहम्मद रमजान के मामले में कहा है किया कि जांच अधिकारी की आपूर्ति नियमों के तहत एक अनिवार्य आवश्यकता थी और इसका गैर-अनुपालन जांच को दूषित कर देगा। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस पहलू पर कानून कुछ समय के लिए अस्थिर रहा था, यह पैरा नं 17 , यह निर्णय कि निर्णय के इस भाग में

संभावित अनुप्रयोग होगा और इस आधार पर कोई दंड चुनौती देने के लिए खुला नहीं होगा। मान लीजिए, इस मामले में सजा उपरोक्त निर्णय दिए जाने से बहुत पहले दी गई थी और इस विशेष मामले में याचिकाकर्ता सफल नहीं हो सकता है।

(पैरा 5)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार और अधिवक्ता हरिंदर शर्मा के साथ जे. सी. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं की ओर से अधिवक्ता अरुण नेहरा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता डी. एस. नेहरा।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति एच. एस. बेदी

(1) पिटिशनरिस केहर दीन जो काम कर रहे थे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ (इसके बाद पी.जी.आई के रूप में संदर्भित) को केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, आचरण और अपील) नियम, 1965 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 3 (1) (i) और (ii) के तहत इस आधार पर आरोप पत्र दायर किया गया था कि 26 सितंबर, 1985 को उसने पी.जी.आई से कुछ इंजेक्शन और दवाएं चोरी की थीं। आरोप पत्र में दिए गए आरोपों की नियमित जांच की गई और जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को पी.जी.आई की सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की। इसके बाद मामले को दंडित करने वाले प्राधिकरण को भेजा गया। पी.जी.आई के निदेशक। जिसने-दिनांक 31 मई, 1986 के आदेश द्वारा अनुलग्नक पी-6 में याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटा दिया। इसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा नियमों के अनुसार हटाने की पुष्टि की गई, उनके खिलाफ की गई कार्रवाई से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने श्रम न्यायालय, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के लिए एक संदर्भ मांगा और प्राप्त किया, जिसने अपने पुरस्कार अनुलग्नक पी-8 के माध्यम से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को अवैध रूप से समाप्त नहीं किया गया था और इस तरह वह किसी भी राहत का हकदार नहीं था। श्रम न्यायालय ने पी.जी.आई द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का वजन किया। जांच अधिकारी के समक्ष और उसके अनुमोदन पर कुछ लोगों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे। अदालत के साथ जो प्राथमिक तथ्य महत्वपूर्ण था, वह यह था कि जब स्टाफ नर्सों द्वारा सुरक्षा अधिकारी को चोरी के मामले की सूचना दी गई थी, तो याचिकाकर्ता ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और माफी मांगी। श्रम न्यायालय इस तथ्य से भी प्रभावित था कि जब याचिकाकर्ता को पी.जी.आई के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक डॉ. कालरा के सामने पेश किया गया, तो उसने एक बार फिर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। वर्तमान याचिका पुरस्कार अनुलग्नक पी-8 के खिलाफ इन आरोपों पर दायर की गई है कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण थी और केवल संदेह पर आधारित थी और नियमों द्वारा प्रदान की गई उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इंगित ध्यान इस तथ्य पर केंद्रित किया गया है कि दो सामग्री गवाह. मिस अलेकुट्टी और श्रीमती मीना मसीह, स्टाफ नर्स, जो घटना की पहली मुखबिर थीं और जिनके बयान रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी-2 और पी-3 से जुड़े हैं, उन्हें याचिका द्वारा जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई और श्रम न्यायालय ने इस तथ्य को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भले ही इन दो गवाहों के साक्ष्य को नजरअंदाज किया जाना था, याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत थे। यह भी तर्क दिया गया था कि नियम 14 (8) (ए) के प्रावधानों का पालन न करना, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि अपराधी सरकारी कर्मचारी एक प्रस्तुत अधिकारी की सहायता का हकदार था, नियम 14 (14) जिसमें गवाहों से जिरह करने का अवसर प्रदान किया गया था और नियम 15 जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि जांच रिपोर्ट की प्रति, साथ ही जुर्माना लगाने से पहले दूसरे कारण बताओ नोटिस की सेवा ने भी जांच को दूषित कर दिया था।

(2) रिट याचिका में उठाए गए विभिन्न तर्कों के उत्तर में, प्रत्यर्थियों ने लिखित बयान में और अपने विद्वान वकील द्वारा तर्क के क्रम में भी श्रम न्यायालय और जांच अधिकारी द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्षों पर भरोसा

किया है और आगे तर्क दिया है कि तथ्य के इन समवर्ती निष्कर्षों को उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

(3) पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मुझे लगता है कि याचिका सफल होने के योग्य है। ऊपर पहले ही निर्दिष्ट नियम 14 (8) (क) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि एक दलाली अधिकारी एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की सेवाओं का हकदार है और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री वर्मा द्वारा यह आग्रह किया गया है कि याचिकाकर्ता को इस तथ्य से अवगत कराना जांच अधिकारी का दायित्व था और ऐसा करने में चूक स्वयं ही जांच को दूषित कर देगी। उन्होंने भगत राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य(ए आई आर । 1983 एस.सी. 454.) पर भरोसा किया है जो विद्वान वकील के तर्कों का समर्थन करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह कहना थाः "नियम 15 के उप-नियम (5) में निहित प्रावधान से इसके वास्तविक निर्माण पर यह सिद्धांत निकाला जा सकता है कि जहां विभाग का प्रतिनिधित्व एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा किया जाता है, यह अपराधी अधिकारी का कर्तव्य होगा, विशेष रूप से जब वह चतुर्थ श्रेणी का सरकारी कर्मचारी है जिसका शैक्षिक उपकरण ऐसा है जिससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि वह जांच करने के लिए निर्धारित तकनीकी नियमों से अवगत नहीं हो सकता है, कि वह अपनी पसंद के किसी अन्य सरकारी कर्मचारी द्वारा बचाव का हकदार है। यदि सरकारी कर्मचारी इस अवसर का लाभ उठाने से इनकार कर देता है, तो जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन यदि अपराधी अधिकारी को उसके अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया जाता है और जांच के समग्र दृष्टिकोण से पता चलता है कि अपराधी सरकारी कर्मचारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अनुशासनात्मक प्राधिकरण की तुलना में तुलनात्मक रूप से नुकसान में था और जैसा कि वर्तमान मामले में, एक वरिष्ठ अधिकारी, सह-प्रतिनिधि, का प्रतिनिधित्व भी उसका बचाव करने के लिए अपनी पसंद के एक अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो सेवा के निचले क्षेत्रों से संबंधित ऐसे सरकारी कर्मचारी की सहायता के लिए किसी की अनुपस्थिति तब तक होगी जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि उसे कोई पूर्वाग्रह का सामना नहीं करना पड़ा था, जांच को दूषित करता है।

उपरोक्त के आलोक में देखे जाने पर, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता जो कि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, और अभिलेख के अनुसार, किसी प्रकार के अवसाद से पीड़ित था, निश्चित रूप से इस तथ्य से अवगत नहीं कराया गया था कि वह विभाग से संबंधित किसी अन्य सरकारी कर्मचारी द्वारा जांच में सहायता प्राप्त करने का हकदार था, विशेष रूप से जब पी.जी.आई स्वयं का प्रतिनिधित्व इसके प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अमर सिंह ने किया था। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच इस छोटे से आधार पर दूषित है।

(4) इसमें यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि नियम 14 का उपखंड (4) प्रदान करता है कि याचिकाकर्ता पी.जी.आई द्वारा प्रस्तुत गवाहों से जिरह करने का हकदार था। और माना जाता है कि यह दो भौतिक गवाहों, मिस अलेकुट्टी और श्रीमती मीना माशीह के मामले में नहीं किया गया था। उन्होंने आग्रह किया है कि इन दो गवाहों ने भी याचिकाकर्ता को वास्तव में दवाओं की चोरी करते हुए नहीं देखा था और वे चोरी के बाद घटनास्थल पर आए थे , इस तर्क पर श्री वर्मा ने तर्क दिया कि यदि याचिकाकर्ता को इन गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी जाती, तो याचिकाकर्ता के पक्ष में कुछ तथ्यों का अच्छी तरह से पता लगाया जा सकता था। इस प्रकार कहा गया कि उपरोक्त गवाहों से जिरह करने के अवसर से इनकार करने से याचिकाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ और तदनुसार जांच को दूषित कर दिया। यह तर्क भी, मेरे विचार से, समझ से परे है। मान लीजिए कि गवाहों से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया था और श्रम न्यायालय का यह निष्कर्ष कि उनके साक्ष्य को अच्छी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है, कानून के सुव्यवस्थित सिद्धांत के विपरीत है कि पहले सूचना देने वाले जो घटना का सबसे अच्छा गवाह है, उसे जिरह के लिए पेश किया जाना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। यह संभव है कि अगर इन दोनों गवाहों से जिरह की गई होती, तो याचिकाकर्ता के पक्ष में एक कहानी सामने आ सकती थी। इसलिए मेरा विचार है कि इस नियम का पालन न करना एक बार फिर घरेलू जांच को दूषित करता है।

(5) याचिकाकर्ता ने कहा कि नियम 15 के प्रावधान, जो अपराधी को जांच अधिकारी की रिपोर्ट की आपूर्ति और जुर्माना लगाने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करने का प्रावधान करते हैं, को भी स्वीकारयोग्य रूप से

संशोधित नहीं किया गया है, जिसके साथ फिर से जांच को दूषित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए भारत संघ और अन्य बनाम मोहम्मद रमजान खान (1991 (1) एस.एल.आर. 159) पर निर्भरता रखी गई है। इस तर्क में भी कुछ ताकत है। मान लीजिए, नियम जो पी.जी.आई.पर लागू होते हैं। जुर्माना लगाने से पहले दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी करने का प्रावधान है, हालांकि नियमों को अन्य संगठनों पर लागू करने में संशोधन किया गया है। भले ही नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्राकृतिक न्याय के लिए ऐसी सूचना जारी करने और उस पर प्राप्त उत्तर पर विचार करने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए, वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया है। अदालत ने मोहम्मद रमजान में भी फैसला सुनाया कि जांच अधिकारी द्वारा दर्ज की गई राय के साथ जांच रिपोर्ट की आपूर्ति नियमों के तहत एक अनिवार्य आवश्यकता थी और इसका गैर-अनुपालन जांच को दूषित कर देगा। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस पहलू पर कानून कुछ समय के लिए अस्थिर रहा था, यह निर्णय (पैरा नं. 17) में कहा , इस भाग का भावी अनुप्रयोग होगा और इस आधार पर कोई दंड चुनौती देने के लिए खुला नहीं होगा। मान लीजिए, इस मामले में सजा उपरोक्त निर्णय दिए जाने से बहुत पहले दी गई थी और इस विशेष स्कोर पर याचिकाकर्ता सफल नहीं हो सकता है।

(6) श्री नेहरा ने पी.जी.आई के लिए परामर्श सीखा। याचिका में आग्रह किया गया है कि भले ही याचिका को अनुमति दी जाए, प्रबंधन को याचिकाकर्ता के खिलाफ एक नई जांच करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और चूंकि उसने प्रबंधन का विश्वास खो दिया है, इसलिए उसे किसी भी मामले में सेवा में बहाल नहीं किया जाना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने उपरोक्त भगत राम के मामले पर भरोसा किया है। मुझे लगता है कि इस तर्क का भी कोई फायदा नहीं है। याचिकाकर्ता समाज के सबसे गरीब वर्गों से संबंधित चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। उन्होंने घरेलू जांच, श्रम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही और अब इस न्यायालय के समक्ष भी पांच साल से अधिक समय तक पीड़ा झेली है और इस तरह उन्होंने जो किया हो या न किया हो, उसके लिए उन्हें पर्याप्त रूप से दंडित किया गया है। मामले के इस दृष्टिकोण में, मामले को नई जांच के लिए रिमांड पर लेना या याचिकाकर्ता को सेवा में बहाली के लाभ से वंचित करना अनुचित होगा।

(7) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, याचिका की अनुमति है। अनुलग्नक पी-8 को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के रद्द कर दिया गया है। उत्तरदाताओं द्वारा इस आदेश की प्रति की प्राप्ति के दो महीने की अवधि के भीतर, याचिकाकर्ता को पूर्ण वेतन और सेवा में निरंतरता के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया जाता है और उसे तुरंत सेवा में वापस रखा जाए और उसका बकाया आदि दिया जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्या न्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश जिंदल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम, हरियाणा